न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2983 सन 2026

CNR. No.UPSP 01007003 2026

ईश्वर पाल पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नानौली थाना बेहट जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 183/2026
धारा–308(5), 308(6), 61(2) बी0एन0एस0
थाना–बेहट जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

15.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **ईश्वर पाल** ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **दिनांक 08.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पंकज कुमार पुत्र प्रमोद कुमार का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी धनपाल सिंह द्वारा थाना बेहट सहारनपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह मै0 शान्ति एण्टरप्राईजेज नामक फर्म का साझीदार है। उक्त फर्म को ग्राम नुनयारी अहतमाल तहसील बेहट सहारनपुर में नदी तल में खनन पट्टा पॉच वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है। विपक्षीगण सुरेन्द्र, प्रिंस, ईश्वरपाल, अंशुल एवं गौरव मिश्रा पत्रकार व अन्य व्यक्तियो द्वारा उसके खनन पटटे पर आकर झूठी विडियो एवं खबरें चलाकर, वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाया जा रहा था। विपक्षीगण द्वारा उसके खनन पटटे पर अपने आदमी भेजकर उसके कर्मचारियो को डराया धमकाया जा रहा था तथा उच्च अधिकारियो को झूठी शिकायतें की जा रही थी। विपक्षीगण द्वारा वादी को कहा गया कि पटटा चलाना है तो उन्हे मुॅह मांगी कीमत देनी होगी तथा पटटे पर उनके जेसीबी/पोकलेन चलवाने होगे। उनके द्वारा समय समय पर विपक्षीगण की मांग के अनुसार कभी 10 हजार रूपये कभी 50 हजार रूपये अपने मैनेजर के माध्यम से दिलवाये गये। विपक्षी गौरव मिश्रा में उनसे प्रत्येक माह 15 हजार रूपये वसूली के रूप में ले जाता था। विपक्षीगण से परेशान होकर वादी द्वारा विपक्षीगण की शिकायत जिलाधिकारी/खनन विभाग को गयी। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा को अवगत कराया गया कि सुरेन्द्र का गिरोह फर्जी विडियो व खबरे अपने चैनल पर चलाकर उनका उत्पीडन कर रहा है। झूठे मुकदमे में फसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है। इसके बाद विपक्षीगण द्वारा उनसे दो करोड रूपये की मांग किये जाने पर वादी द्वारा विपक्षीगण की धमकियो से डरकर फर्म से दिनांक 18.04.2026 को 50 लाख नगद कैश निकाला गया परन्तु जब वह यह रकम लेकर विपक्षीगण के पास जा रहे थे तो रास्ते में ज्ञात हुआ कि वासुदेव स्टोन क्रेशर से विपक्षीगण को कर्ण से रंगदारी वसूली करके आते समय पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया है। विपक्षीगण द्वारा रंगदारी वसूलने, जान से मारने की धमकी देने, शासन व प्रशासन में झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेल करते हुए उगाही करने व खनन पटटे पर सरकार को भेजे जाने वाले राजस्व की हानि करने व सोशन मीडिया पर झूठी खबरे प्रस्तावित कर वादी व उसके परिवार की सामाजिक छवि को खराब करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

वादी की उक्त तहरीर के आधार थाना बेहट पर अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार, प्रिन्स, ईश्वरपाल, गौरव मिश्रा पत्रकार व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर न तो कोई आरोप लगाया गया है और ही कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शायी गयी है। अभियुक्त द्वारा किसी से कोई रंगदारी वसूल नहीं की गयी है और न ही किसी को जान से मारने व झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी गयी है। अभियुक्त को अन्य मामले से जेल से तलब कर इस मामले में आलिप्त किया गया है। अभियुक्त बीमार व्यक्ति है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के अतिरिक्त अन्य लोगो के साथ भी इसी तरह का अपराध कारित किया गया है, जिनके सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0–171/2026 धारा–308(5),308(6),61(2) बी0एन0एस0 थाना बेहट एवं मु0अ0सं0–172/2026 धारा–308(5),308(6),61(2) बी0एन0एस0 थाना बेहट सहारनपुर के प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–5 सहारनपुर द्वारा निरस्त किये जा चुके है। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एंव केस डायरी का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर खनन पटटे दारो से अवैध वसूली करने का आपराधिक षडयंत्र रचकर वादी के खनन पटटे के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियो को झूठी, शिकायत कर, फर्जी विडियो व खबरे चलाकर वादी पर दबाव बनाकर उससे अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी के पर्चा सं0–3 पर अंकित वादी द्वारा अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनो का समर्थन करते हुए अन्य सह अभियुक्तगण के साथ आवेदक/अभियुक्त ईश्वरपाल द्वारा उससे खनन पटटे पर आकर हंगामा कर झूठी विडियो एवं खबरे चलाकर वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाने, अन्य स्थानो के खनन की फोटो को वादी के पटटे से जोडकर झूठी खबरे चलाकर वादी पर अवैध वसूली का दबाव बनाने और उससे समय समय पर कभी दस हजार कभी पचास हजार, कभी एक लाख की वसूली करने का कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं0–3 में दौरान विवेचना वादी द्वारा विवेचक को प्राप्त करायी गयी पैनड्राईव में 06 विडियो होना और उनमे अभियुक्तगण द्वारा वादी से पैसे के लेन देन व डराने धमकाने की गतिविधिया करते हुए दिखाई देना अंकित किया गया है। केस डायरी पर अंकित स्वतंत्र गवाह आदेश सिंह, जो क्रमश मै0 जय लक्षमी स्टोन क्रेशर का एवं अन्जर अली जो के0जी0एफ0मिनरल्स प्रा0लि0 स्टोन क्रेशर के स्वामी है के द्वारा भी अपने अपने बयान में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त ईश्वरपाल द्वारा अपने विडियो चैनल के माध्यम से उनका नाम लेकर उन्हे ब्लैकमेल करने , क्रेशर सील करवाने की धमकी देने और उनसे धनराशि वसूल करने का कथन किया है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि केस डायरी पर विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी एवं अन्य स्टोन क्रेशर मालिको को आपराधिक अभियोग में फसाने उनका स्टोन क्रेशर सील कराने की धमकी देकर रंगदारी वसूल करने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। थाना से प्राप्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में उसके विरूद्ध निम्न आपराधिक अभियोग पंजीकृत होना दर्शाया गया है–

1.मु0अ0सं0–227/20 धारा–147,148,307,336,353,370,120बी भा.द.सं. व
2/3 पी0पी0डी0 एकट थाना बेहट सहारनपुर
2.मु0अ0सं0–443/23 धारा–323,354ख, 452,504,506 भा.द.सं.थाना बेहट सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0–171/26 धारा–308(5),308(6),61(2)बी.एन.एस. थाना बेहट, सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0–172/26 धारा–308(5),308(6),61(2)बी.एन.एस. थाना बेहट, सहारनपुर।

5.मु0अ0सं0–155/26 धारा–308(5),308(6)बी.एन.एस. थाना चिलकाना, सहारनपुर।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त इसी प्रकार के अपराध करने का अभयस्त है। प्रस्तुत मामले की विवेचना प्रचलित है तथा मामले में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। अभियुक्त को इस मामले में जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किये जाने व उसके फरार होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त गौरव मिश्रा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.06.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त न होने के कारण, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **ईश्वरपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–15.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891